



# **NARESH CHANDRA GUPTA ADVOCATE**

Address : House No. 8, Vivekanand Nagar, Raipur (C.G.)  
Mobile : 94252-03002, 81093-62000  
E-mail : abhishekguptaji@gmail.com  
Member : Direct Tax Advisory Committee, Raipur (C.G.)  
GST - Grievance Redressal Committees at Zonal/State

Ref. 01/12/95

Date : 09/12/2022

## प्रतिष्ठा

Shri 255 /

5 cent (M)

विषय १-

डी.एम.एफ.टी. कोरबा के तात्कालीन कलेक्टर श्री अद्युल केशर हक के द्वारा डी.एम.एफ.टी. के राशि 25 करोड़ को फर्जी तरीके से सी.पैड में जाना बताकर भ्रष्टाचार करने पर कार्यवाही करने बाबत ।

## संदर्भ :-

1. डी.एम.एफ.टी. स्टेट बैंक का एकाउंट डिटेल
2. डी.एम.एफ.टी. कोषबाट का लेज़र क्रमांक द्वारा में नीतोंका का लल्लौयद है
3. सी.पेड रायपुर का पत्र क्रमांक सी.पेड-राय/प्रशा./सू.अधि./अंखू/2025-25/2566 दिनांक 20.11.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2018 में तात्कालीन कलेक्टर श्री अद्वृत केशर हक के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने की नियत से डी.एम.एफ.टी. के फण्ड से 25 करोड़ की राशि का बड़ा भ्रष्टाचार किया है यह देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में डी.एम.एफ.टी. व सीएसआर के मद का बड़े पैमाने में दुरुपयोग व भ्रष्टाचार छ.ग. के समस्त जिलों में हो रहा है मुख्य रूप से जिला कोरबा के तात्कालीन कलेक्टर श्री अद्वृत केशर हक के द्वारा 2018 में कलेक्टर रहते हुए डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते से फर्जी तरीके से 25 करोड़ रुपये का हस्तांतरण जिला खनिज च्यास निधि के भारतीय स्टेट बैंक इंडिया आईटीआई कालोनी रायपुर कोरबा के खाता क्रमांक 35426068489 से 25 करोड़ रुपये सी.पैड रायपुर को दिनांक 18.09.2018 को अपने लेजर क्रमांक 57 में इसका उल्लेख है से सी.पैड का खाता क्रमांक 0035019988579 में हस्तांतरण बताया जा रहा है परंतु सी.पैड रायपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से जानकारी अपने पत्र क्रमांक सी.पैड रायपुर का पत्र क्रमांक सी.पैड-राय/प्रशा./सं.अधि./अंखू/2025-25/2566 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उन्हें दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किसी भी प्रकार का सी.पैड रायपुर को डी.एम.एफ.टी. कोरबा से कोई राशि प्राप्त नहीं हआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तात्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक के द्वारा फर्जी खाते में डी.एम.एफ.टी. से 25 करोड़ रुपये हस्तांतरण कर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है इस संबंध में श्री अब्दुल केशर हक से 25 करोड़ रुपये की वसुली करते हुए उपर्युक्त परिस्थि भक्ति लगानी दशपाणी परन्तु हेतु निर्देश देना चाहें।

## संलग्न — उपरोक्तान्तराल ।

प्रति-

माननीय श्री जी. किशन रेड्डी जी,  
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

Dr. Gopal  
नरेश चन्द्र गोपाल

